पत्रक

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी– सुशील कुमार सैनी आर.ए.एस. नवलगढ़

बाबूलाल पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ओला की ढाणी तन गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	–बनाम–	अनिता पुत्री रिछपाल जाति जाट निवासी ओला की ढाणी तन गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 115 / 2025 GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
03.06.2025	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री सज्जन कुमार चाहर** द्वारा विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 204, 232, 233, 234, 235, 68, 77 कुल किता 7 कुल रकबा 7.6400 है0 भूमि आवेदक व अनावेदकगण की पैत्रिक भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि को अनावेदकगण विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। अतः अनावेदकगण को ताफैसला दावा उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 204, 232, 233, 234, 235, 68, 77 कुल किता 7 कुल रकबा 7.6400 है0 भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। **उक्त आदेश प्रचलित, कटाणशुदा व रिकोर्डेड रास्तों पर तथा किसी दीगर न्यायालय के आदेश पर प्रभावी नही होगा।** किसी भी अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के जबाब प्रस्तुत करने के बाद वकील प्रार्थी बहस हेतु बाध्य होंगे। आवेदक सी0पी0सी0 रूल 39(3) की पालना सुनिश्चित करें। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर इस आदेश के प्राप्त होने के 24 घण्टे मे जरिये रजि0 डाक से जारी हो। इस आश्य का सपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड डाक की रसीद व उनकी डिलीवरी रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8/7/25 को पेश हो। **सुशील कुमार सैनी(R.A.S.)** **ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰)** **नवलगढ।**	
8/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] वकील आवेदक [illegible] Not press [illegible] कर [illegible] लिखा / अतः पत्रावली [illegible] स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ	Not press Saini

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested